रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2015/पौष 29, 1936
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2015/PAUSA 29, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 43(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 के उप नियम (2) में,—

(i) "अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा, या तो अकेले या उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ, या किसी अन्य कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी की होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ स्थापित, या अन्य किसी तरीके से" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) परंतुक के खंड (i) में, "उस कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा नहीं की गई हो तो इसके" शब्दों के स्थान पर "उस कंपनी द्वारा, या तो अकेले या उसकी होल्डिंग या अनुषंगी

या सहयोगी कंपनी के साथ, या किसी अन्य कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी की होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के साथ नहीं की गई हो तो इसके" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 1/18/2013-सीएल-V-भाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 129 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2014 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2015

G.S.R. 43(E).— In exercise of the powers conferred under section 135 and sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, in rule 4, in sub-rule (2),—

(i) for the words "established by the company or its holding or subsidiary or associate company under section 8 of the Act or otherwise", the words "established under section 8 of the Act by the company, either singly or alongwith its holding or subsidiary or associate company, or alongwith any other company or holding or subsidiary or associate company of such other company, or otherwise" shall be substituted;

(ii) in the proviso, in clause (i), for the words "not established by the company or its holding or subsidiary or associate company, it", the words "not established by the company, either singly or alongwith its holding or subsidiary or associate company, or alongwith any other company or holding or subsidiary or associate company of such other company" shall be substituted.

[F. No. 1/18/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and was subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.